

अन्तिम डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-97/2004

1. रामप्रताप पुत्र सतपाल जाति ब्राहमण निवासी रासूवाला तहसील संगरिया।

बनाम्

-वादी

1. सतपाल पुत्र अर्जनराम
2. पवन कुमार नु. सतपाल
3. ज्योतसना पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति ब्राहमण निवासी क्वार्टर नम्बर 6 पावर हाउस रोड़
मिल्क बूथ के पास केटागिरी द्वितीय बटिण्डा।
4. प्रशान्त (नाबालिग) जरिये ज्योतसना पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति ब्राहमण निवासी क्वार्टर
नम्बर 6 पावर हाउस रोड़ मिल्क बूथ के पास केटागिरी द्वितीय बटिण्डा।
5. कमलेश पुत्री सतपाल जाति ब्राहमण निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला।
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
7. शाखा प्रबन्धक, श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संगरिया।

-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री प्रेम भारद्वाज वकील वादी मिन जामिन मुदई नक्षत्रासिंह मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.3.2014 पेश होने पर अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वादी रामप्रताप को चक नं0 7 आई.डी.जी.के प0न0 125/125 मु0 60 किलानं0 1,10/0.506 है0 नहरी, प्रतिवादी सं0 1 सतपाल को चक नं0 7 आई.डी.जी.के प0न0 122/125 मु0 63 किला नं0 9/.253, प0न0 124/126 मु0 68 किला नं0 3/.228, 73/47/0.026 है0 गै0मु0 खाला कुल 0.507 है0 नहरी मय गै0मु0 व प्रतिवादी सं0 2 पवन कुमार को चक नं0 7 आई.डी.जी.के प0न0 122/125 मु0 63 किला नं0 8,13/.506 है0 कुल 0.506 है0 तथा प्रतिवादी सं0 3 ज्योत्सना व 4 प्रशान्त को ब0हि0ब0चक नं0 7 आई.डी.जी.के प0न0 122/125 मु0 63 किला नं0 12,19/.506 है0 कुल 0.506 है0 नहरी भूमि के के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर खाता अलग अलग कायम कर रकम राज अलग से कायम करने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन किया जावे। नियमानुसार शुल्क जमा होने पर नकल पर्चा डिक्री जारी हो।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें
के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 31.1.2018 अदा
करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 31.1.2018 को जारी
किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

मूल वाद में डिक्री
(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
सीन अधिकारी:- उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस,
पत्र अन्तर्गत धारा:- 88 आर.टी.ए.
रण संख्या:-361/2017

1 ताराचन्द पुत्र परमान जाति सुथार सा. दौलतपुरा तह. टिब्बी जिला हनुमानगढ

-वादी


बनाम

1	परमान पुत्र कालूराम		जाति सुथार सा. दौलतपुरा
2	रिन्कू पुत्रियां परमान		तह. टिब्बी जिला हनुमानगढ
3	रेणु		
4	शाखा प्रबन्धक एस.वी.वी.जे.वैंक वसीर तह. टिब्बी जिला हनुमानगढ		
5	तहसीलदार राजस्व संगरिया		

-प्रतिवादीगण

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोवरु हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू एड.
व गुरमीत सिंह कलसी एडवोकेट प्रति. स. 1 ता 4 व श्री राधेश्याम झोरड एड. प्रति. स.
पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 16 एफ.टी.पी खाता स.
/94 खाता परमान ज.स.2069-72 मे प्रति. स. 1 के नाम दर्ज आराजी के वादी व प्रति. स.
ब. हि. ब के खातेदार काश्तकार है इसमे प्रति. स. 2 व 3 का कोई हक व हिस्सा शेष नही
है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम से अंकन किया जाकर उक्त खाता से
ते. स. 1 का हिस्सा कम किया जावे। भूमि रहन हो तो ऋण चुकता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत
रने पर ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निज..... मुब्लिक..... बाबत.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी
लाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक...2...1...1... को अदा करें।
सबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक...2...1...2... को जारी की गई।


(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया